

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 1731] No. 1731] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2013/श्रावण 2, 1935

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2013/SRAVANA 2, 1935

# शहरी विकास मंत्रालय (दिल्ली प्रभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2013

का.आ. 2278(अ).—यत: यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 की का.आ. सं. 2010(ई) के तहत सार्वजिनक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

- 2. यत: प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है; और
- 3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 4. अत:, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है। संशोधन

जोन 'एफ' में निम्नलिखित क्षेत्र का भू-उपयोग नीचे सूचीबद्ध विवरण के अनुसार परिवर्तन किया जाता है।

स्थान	क्षेत्र	भू–उपयोग (एमपीडी-2021)	भू-उपयोग परिवर्तन	सीमाएं
1	2	3	4	5
प्लाट सेक्टर-6,	1942.90	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्ध-	उत्तर : नर्सरी स्कूल
आर.के. पुरम (जोन 'एफ')	वर्ग.मी.		सार्वजनिक सुविधाएं (प्रशिक्षण	दक्षिण: सड़क (कामा कोटी मार्ग)
में नर्सरी स्कूल के लिए			केन्द्र, अनुसंधान एवं	<b>पूर्व</b> : 15 फुट चौड़ी सड़क
निर्धारित है ।			विकास)	<b>पश्चिम</b> : 30 फुट चौड़ी सड़क

[सं. के-13011/6/2009-डीडी-I] सुनील कुमार, अवर सचिव

3273 GI/2013 (1)

#### MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

### (Delhi Division)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd July, 2013

- **S.O. 2278(E).** Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 2010(E) dated 31 August, 2012 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
- 2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and
- 3. Whereas, the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan of Delhi 2021.
- 4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazzette of India.

#### Modification:

The land use of the following area in Zone 'F' is changed as per description listed below:-

Location	Area	Land Use (MPD-2021)	Land Use Changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
The plot earmarked for Nursery School at Sector 6, R.K. Puram	1942.90 sqm.	`Residential'	Public & Semi- Public Facilities (Training Centre, Research & Development)	North: Nursery School South: Road (Kama Koti Marg) East: 15 ft. wide road West: 30 ft. wide road

[F. No. K-13011/6/2009-DD-I] SUNIL KUMAR, Under Secy.